भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2171

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2171. श्री संतोष पान्डेयः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;
(ख) इनकी प्रथम नियुक्ति के समय उक्त संविदात्मक कर्मचारियों हेतु विहित वेतन-मान क्या है;
(ग) क्या उपरोक्त कर्मचारियों का वेतनमान इनकी नियुक्ति के समय विगत में नियुक्ति के अगले चरण से कम निर्धारित किया गया था;
(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में ऐसे प्रावधान हैं;
(ङ) क्या मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा उक्त कर्मचारियों के ईपीएफ की कटौती की जा रही थी जबकि छत्तीसगढ़ में यह नहीं काटा जा रहा है; और
(च) यदि हां, तो ऐसी विसंगति के क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (च): राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 167 थी जिन्हें एसएसए द्वारा लिया गया था। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, अत: शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और नियुक्ति संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

****